

पुलिस

अधीक्षक

जनपद

आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in



पत्र संख्या- 04/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 02.01.2025

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 02.01.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

थाना गम्भीरपुर- किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व का विवरण:-

दिनांक 13.12.2024 को वादी की भतीजी जो सुबह करीब 08.00 बजे कालेज पढ़ने के लिए गयी थी, जहाँ से अभियुक्त शिवम पुत्र अमेरिका व पूनम सिंह पत्नी अमेरिका निवासी ग्राम रानीपुर रजमो थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ व प्रिंस वर्मा पुत्र रविन्द्र वर्मा ग्राम हुसेनपुर थाना जहागीरगंज जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-448/2024 धारा-137(2)/87/61(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में पीडिता की बरामदगी, बयान व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64 बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 02.01.2025 को उ0नि0 मिथलेश कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त शिवम सिंह पुत्र अमेरिका सिंह निवासी ग्राम रानीपुर रजमों थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष को ग्राम रानीपुर रजमों अम्बेडकर मूर्ति के पास से समय करीब 11.40 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।



02. थाना- बरदह:- अवैध तमन्चा व कारतूस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 01.01.25 को उ0नि0 महेन्द्र प्रताप सिंह मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर एक व्यक्ति अनिरुद्ध गिरी उर्फ डब्बू उर्फ शुभम पुत्र राजेश गिरी निवासी ग्राम मिर्चा थाना सरायख्वाजा जनपद जौनपुर को बैरी नहर पुलिया से समय करीब 16.30 बजे एक अदद तमन्चा व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 01/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 01/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह आजमगढ़

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 01/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 59 / 24 धारा 406, 506 IPC थाना सराय ख्वाजा जौनपुर
3. मु0अ0सं0 217 / 24 धारा 366 IPC थाना सराय ख्वाजा जौनपुर



03.थाना-बिलरियागंज:-बिलरियागंज थाना क्षेत्र का हिस्ट्रीशीटर चोरी की 01 अदद साइकिल के साथ गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 01.01.2025 को वादी जयराम पुत्र स्व0 सिता ग्राम पिपरहाँ दुलियावर थाना-बिलरियागंज जनपद-आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक 30.12.2024 को भीमबर बाजार में सब्जी लेते समय वादी की साइकिल को किसी अज्ञात चोर द्वारा चुरा लिया गया, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 02/25 धारा 303(2) बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात चोर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। आज दिनांक 02.01.2024 को प्रकाश में आये अभियुक्त अख्तर सिद्दकी पुत्र स्व0 अली हसन निवासी बर्नापुर जगदीशपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ के कब्जे से उक्त चोरी गई साइकिल को बरामद किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 02.01.2025 को उ0नि0 अवधेश उपाध्याय मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त अख्तर सिद्दकी पुत्र स्व0 अली हसन निवासी बर्नापुर जगदीशपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ जो बिलरियागंज थाने का एक हिस्ट्रीशीटर ***(HS 73A)*** भी है, को हाईडिल तिराहे से बिलरियागंज देहात जाने वाले मार्ग से समय करीब 07.05 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

अपराधिक इतिहास:- 01.मु0अ0सं0 993/09 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

02.मु0अ0सं0 299/2011 धारा 379/411 भादवि थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

03.मु0अ0सं0 360/2011 धारा 307 भादवि थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

04.मु0अ0सं0 359/2011 धारा 379/411 भादवि थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

05.मु0अ0सं0 1138/2011 धारा 223/224 भादवि थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।

06.मु0अ0सं0 365/2012 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।

07.मु0अ0सं0 49/2019 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

08.मु0अ0सं0 5/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

09.मु0अ0सं0 415/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

01. मु0अ0सं0 02/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस बी0एन0एस0 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।



04.थाना-कोतवाली:- खाने-पीने की बात को लेकर होटल में फायरिंग करने वाले 04 अभियुक्त 01 अदद रिवाल्वर, 19 अदद जिंदा कारतूस, 01 अदद खोखा कारतूस, 06 अदद मोबाइल व 02 हजार रूपये नगद के साथ गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का संक्षिप्त विवरण:-

वादी उप निरीक्षक लाल बहादुर बिन्द मय हमराह को मुखबिर से सूचना मिली की रामनाथ होटल बन्धा रोड बिनायक हास्पिटल के सामने कुछ लोगों द्वारा अपने लाइसेंसी रिवाल्वर से फायर किया गया है जहा पर अपरा तफरी का माहौल है प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुँची तो पता चला कि 1.कृष्ण कुमार सिंह पुत्र स्व0 वंशराज सिंह निवासी करतालपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ 2.विक्की चौहान पुत्र राजकुमार राजकुमार चौहान निवासी कोडर अजमतपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ 3. भूपेन्द्र ठाकुर पुत्र स्व0 सुदर्शन ठाकुर निवासी जयपुर थाना जयपुर जनपद कोराकोट उडीसा एंव 4-चिरंजीवी पटनायक पुत्र सत्य नारायण पटनायक निवासी जामुण्डा थाना कोरी गुम्मा जनपद कोराकोट (उडीसा) का एक मादक पदार्थों की तस्करी करने का गिरोह है जिनके द्वारा होटल पर खाने-पीने की बात को लेकर लाइसेंसी रिवाल्वर धारक कृष्ण कुमार सिंह उपरोक्त द्वारा अपने साथियों के साथ मिल कर उनके उकसावे व ललकारने पर अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर से होटल के कर्मचारियों की जान मारने के नियत से फायर किया गया था जिससे मौके पर अपरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर दिनांक 01.01.2025 को मु0अ0सं0 02/ 25 धारा 109,3(5),125,324(6) बीएनएस व 25/ 30 शस्त्र अधि. बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण:-

दिनांक 01.01.2025 को उ0नि0 यश सिंह पटेल, उ0नि0 लाल बहादुर बिन्द चौकी प्रभारी रोडवेज, उ0नि0 अभिषेक कुशवाहा मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तों 1. विक्की चौहान पुत्र राजकुमार चौहान निवासी कोडर अजमतपुर थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 38 वर्ष, 2. कृष्ण कुमार सिंह पुत्र वंश राज सिंह नि. करतालपुर थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 50 वर्ष, 3. भूपेन्द्र ठाकुर पुत्र स्व0 सुदर्शन ठाकुर निवासी जयपुर थाना कोरापुट उडीसा उम्र 33 वर्ष, 4. चिरंजीवी पटनायक पुत्र सत्यनारायण पटनायक निवासी जामुण्डा थाना बोरीगुमा कोरापुट उडीसा उम्र 38 वर्ष को प्राईवेट बस अड्डा से समय करीब 23.30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

बरामदगी का विवरण:-

01. 01 अदद लाईसेंसी रिवाल्वर 32 बोर
02. 19 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर
03. 01 खोखा कारतूस
04. 06 अदद मोबाईल फोन
05. 2000 रूपये नगद



